न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 101/2019 **दायर दिनांकः 10/07/2019**

उनवान

1. रामेश्वर मंगल आयु 52 वर्ष पुत्र श्री सत्यनारायण जाति महाजन
2. भूपेन्द्र कुमार मंगल आयु 48 वर्ष पुत्र श्री सत्यनारायण जाति महाजन

वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण मंगल आयु 82 वर्ष पुत्र श्री रामगोपाल जाति महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

आदेश दिनाक : 19/02/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम व माल कवाई में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार खाता संख्या 734 ख0नं0 388 रकबा 2.83 है0, भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पैत्रक भूमि है जो प्रतिवादी कम 1 को वादीगण के दादा रामगोपाल के स्वर्गवास के पश्चात् प्राप्त हुई है। इस भूमि में वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी कम 1 वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित पैत्रक भूमि को रहन बैचान करने पर आमादा रहता है। वादीगण को अपने जन्म से प्राप्त अधिकारी से वंचित होना पड़ रहा है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी कम 1 के अवैधानिक कृत्य को रोका जाना सम्भव नहीं है। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के खातेदार कृषक घोषित होकर हिस्सेनुसार बंटवारा करवाने के अधिकारी है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से इस वाद में

आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है परन्तु नोटिस प्रेषित कर उसकी अवधि समाप्त होने का इंतजार किया गया तो प्रतिवादी क्रम 1 भूमि को रहन बेचान कर देगा। जिससे वादीगण को अनेकानेक विवादो में उलझना पड़ेगा। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) सीपीसी का पृथक से प्रार्थना पत्र पेश कर यह वाद माननीय न्यायालय की इजाजत से प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 2 जून 2019 को प्रतिवादी क्रम 1 से पैत्रक सम्पत्ति में उनके हिस्सेनुसार भूमि खाते बंधवाकर विभाजन करने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 टालमटोल करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में स्थित होने से इस बाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर उनके हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर इस आशय का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम एवं माल कवाई में खाता संख्या 734—702 पुराने 609 की ख0नं0 388 रकबा 2.83 है0 भूमि पैत्रक भूमि होने से वादी क्रम 1 के उत्तर दिशा की 1.42 है0 भूमि हिस्से कब्जे व स्वामित्व में रहेगी तथा दक्षिण दिशा की 1.41 है0 भूमि वादी क्रम 2 भूपेन्द्र कुमार मंगल के स्वामित्व हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

राजीनामा को पढकर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एडवोकेट द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान चन्द्र प्रकाश योगी एडवोकेट द्वारा की गई राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया मुताबिक जमाबन्दी ग्राम कवाई की खाता संख्या 734 ख0नं0 388 रकबा 2.83 है0 भूमि दर्ज है। उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के पिता रामगोपाल के स्वर्गवास के पश्चात प्राप्त हुई है। जो पैत्रिक सम्पत्ति है। जिस पर वादीगण का जन्म से अधिकार है।

न्यायहित में वादीगण का वाद आपसी सहमति स्वीकार किया जाता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 734 ख0नं0 388 रकबा 2.83 है0 वादीगण को आपसी सहमति से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा इनके हिस्से में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता हैः—

1. वादी क्रम 1 रामेश्वर मंगल के हिस्से में ख0नं0 388 रकबा 2.83 है0 में से रकबा 1.42 है0 उत्तर दिशा का रहेगा।
2. वादी क्रम 2 भूपेन्द्र कुमार मंगल के ख0नं0 388 का रकबा 2.83 है0 में से रकबा 1.41 है0 दक्षिण दिशा का रहेगा।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 101/2019

उनवान

1. रामेश्वर मंगल आयु 52 वर्ष पुत्र श्री सत्यनारायण जाति महाजन
2. भूपेन्द्र कुमार मंगल आयु 48 वर्ष पुत्र श्री सत्यनारायण जाति महाजन

वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण मंगल आयु 82 वर्ष पुत्र श्री रामगोपाल जाति महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 734 ख0नं0 388 रकबा 2.83 है0 वादीगण को आपसी सहमति से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा इनके हिस्से में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता हैः–

1. वादी कम 1 रामेश्वर मंगल के हिस्से में ख0नं0 388 रकबा 2.83 है0 में से रकबा 1.42 है0 उत्तर दिशा का रहेगा।
2. वादी कम 2 भूपेन्द्र कुमार मंगल के ख0नं0 388 का रकबा 2.83 है0 में से रकबा 1.41 है0 दक्षिण दिशा का रहेगा।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 13:14:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: